



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476

2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No. 7/12/2017/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/10016

अगस्त August 08, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : नई दिल्ली स्थित पऊवि इकाइयों के लिए सीजीएचएस सुविधा के पुनःप्रवर्तन संबंधी।
Subject : Revival of CGHS facility for DAE units located at New Delhi – reg.

नई दिल्ली स्थित पऊवि शाखा सचिवालय और परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य संघटक इकाइयों में कर्मचारियों एवं उनके परिवार के पात्र सदस्यों के हित के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पुनःप्रवर्तन हेतु प्रस्ताव कुछ समय से इस विभाग में विचाराधीन था।

A proposal for revival of Central Government Health Scheme (CGHS) facility for the benefit of employees in the DAE Branch Secretariat and all other constituent units of Department of Atomic Energy located at New Delhi and their eligible family members has been under consideration of this Department for sometimes.

2. सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आधारित नई दिल्ली स्थित पऊवि शाखा सचिवालय और विभाग की सभी संघटक इकाइयों के कर्मचारियों से फीडबैक प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त फीडबैक से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकांश कर्मचारी दिल्ली में सीजीएचएस के पुनःप्रवर्तन की इच्छा रखते हैं। अतः, विचार-विमर्श के बाद सक्षम प्राधिकारी ने दिल्ली स्थित पऊवि शाखा सचिवालय के साथ-साथ पऊवि की अन्य संघटक यूनिटों में कर्मचारियों तथा परिवार के पात्र सदस्यों के लाभ के लिए दिल्ली में सीजीएचएस सुविधा को पुनःप्रवर्तित करने के लिए मंजूरी दी है।

Based on the recommendations of the CHSS Review Committee, feedback from the employees in DAE Branch Secretariat and all the constituent units of the Department located at New Delhi has been obtained. From the feedback received it became evident that majority of employees desire for revival of CGHS in Delhi. Hence, after due deliberations the competent authority in the Department has accorded approval for revival of CGHS facility in Delhi for the benefit of employees in DAE Branch Secretariat as well as in all other constituent units of DAE located at Delhi and their eligible family members.

.....2/-

3. उपरोक्त को देखते हुए, विभाग में यह निर्णय लिया गया कि पऊवि शाखा सचिवालय और पऊवि की अन्य इकाइयों में कर्मचारियों को, जैसा भी मामला हो सीजीएचएस या सीएचएसएस में शामिल होने के विकल्प की अनुमति दी है। तदनुसार, कर्मचारियों को इस कार्यालय जापन की तिथि से एक माह के अंदर विकल्प चुनने का निर्देश दिया जाए। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

In view of above, it has been decided in the Department to permit employees in DAE Branch Secretariat and other Units of DAE to exercise an option to join either CGHS or CHSS, as the case may be. Accordingly the employees may be instructed to exercise an option within one month from the date of this OM. The option once exercised shall be final.

4. नई दिल्ली स्थित पऊवि की सभी यूनिटों के नए प्रवेशी को नियुक्ति के एक माह के अंदर या तो सीजीएचएस या सीएचएसएस से जुड़ने का विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

The new entrants in all units of DAE located at New Delhi shall have an option, which can be exercised within one month of joining, to opt for either CGHS or CHSS. The option once exercised shall be final.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएण्डब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To,

सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी
All CHSS Administering Authorities

प्रतिलिपि Copy to :

1. ओएसडी, पऊवि, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली
OSD, DAE, Branch Sectt., New Delhi
2. सीएओ (ए), बीएआरसी CAO(A), BARC
3. सीएओ, आईआरबी, मुंबई CAO, AERB, Mumbai.
4. सीएओ, डीसीएसईएम CAO, DCSEM
5. परियोजना निदेशक, जीसीएनईपी Project Director, GCNEP
6. स्टेशन निदेशक, एनएपीएस Station Director, NAPS
7. एओ-III, ब्रिट AO-III, BRIT..
8. एओ-III, एएमडी AO-III, AMD
9. पीएंडए, पऊवि P&A, DAE
10. प्रबंधक (एचआर), एनपीसीआईएल Manager (HR), NPCIL

It is requested to kindly provide the list of employees who have opted for CHSS under NAPS, Narora to Station Director, NPCIL under intimation to this Department.